प्रेषक,

अरुण कुमार तृतीय,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–08, मुरादाबाद।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

विषय– शासनादेश संख्या–14/2024/सा–3–243/दस–2024/301 (1) 2024 दिनांक 28 जून, 2024 के कम में पुरानी पेंशन का विकल्प पत्र के सम्बन्ध में

महोदय,

सादर निवेदन है कि उपरोक्त शासनादेश के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिको, जिनका चयन ऐसे पद/ रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किये जाने सम्बन्धी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने की व्यवस्था की गयी है। प्रार्थी की नियुक्ति विज्ञप्ति संख्या–ए–2/ई–1/2003 दिनांकित 22–28 नवम्बर, 2003 के अन्तर्गत हुई है तथा उपरोक्त शासनादेश से आच्छादित है।

उपरोक्त संदर्भित शासनादेश दिनांकित 28 जून 2024 की व्यवस्था के कम में मेरे द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना गया है तथा पुरानी पेंशन चुने जाने का विकल्प पत्र इस अनुरोध पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

अतः माननीय महोदय से सादर अनुरोध है कि प्रार्थी के विकल्प पत्र को संस्तुति एवं सहमति के लिये माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद/सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करे।

सादर।

भवदीय,

Arun 19/7/2024

दिनांकः–19.07.2024
संलग्नकः– विकल्प पत्र

(अरुण कुमार तृतीय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0– 8, मुरादाबाद।
(आई0डी0–यू.पी.6493)